न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–जीसीएमएस नम्बर 2022/51

1. मालाराम पुत्र महोदव, जाति यादव (अहीर) निवासी ग्राम ललाना, तहसील पावटा जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार पावटा, तहसील पावटा जिला जयपुर राजस्थान।
2. रूडाराम पुत्र रामकुंवार, जाति अहीर निवासी ग्राम पावटा, तहसील पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री हमेन्त दीक्षित, राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से
2. श्री सुनिल शर्मा, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

दिनांकः 15/10/25

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.12.2021 से असंतुष्ट होकर भू राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 76 की तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि तहसीलदार पावटा ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कतई ध्यान नही दिया कि जब प्रार्थी अपीलान्ट ने अपने खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 104/0.61 स्थित ग्राम ललाना तहसील पावटा में से 689 वर्गमीटर की भूमि में से सार्वजनिक रास्ता निकालने हेतु राज्यहित में रास्ते के परियोजनार्थ समर्पण कर दिया था, उक्त समर्पणनामा दिनांक 14.07.2020, 13.07.2020 के आधार पर उक्त भूमि राज्य सरकार में निहित हो चुकी थी तो तहसीलदार को अपीलान्ट द्वारा समर्पित कृषि भूमि खसरा नम्बर 104 रकबा 0.61 हैक्टयर स्थित ग्राम ललाना तहसील पावटा में से 0.068 हैक्टयर भूमि गैर मु. रास्ता दर्ज करना आवश्यक था तथा तहसीलदार पावटा ने समर्पणनामा स्वीकार करते हुए उक्त भूमि में जरिये नामान्तरकरण संख्या 649 के द्वारा 0.068 हैक्टयर भूमि से रास्ता खसरा नम्बर 104 में से निकालने के आदेश भी पारित कर दिये थे किन्तु दिनांक 24.08.2020 को किसी असंबन्द्व व्यक्ति रूडाराम द्वारा तहसीलदार पावटा के समक्ष उक्त समर्पणनामें दिनांक 13.07.2020 को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा दिनांक 24.08.2020 के उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार पावटा ने पुनः अपने आदेश क्रमांक भू.अ./20/1415 दिनांक 31.08.2020 के द्वारा पटवारी से मौका रिपोर्ट मंगवायी जिस पर पटवारी हल्का कुनेड ने दिनांक 03.09.2020 को भेज दी तथा दिनांक 22.12.2020 को भू अभिलेख निरीक्षक ने जो मौका रिपोर्ट तहसीलदार पावटा को भेजी थी उस पर पुनः तहसीलदार पावटा ने दिनांक 22.12.2020 को भू अभिलेख निरीक्षक पावटा से मौका रिपोर्ट तलब की तथा उक्त पत्रांक भू.अ./20./3176 दिनांक 22.12.2020 के जवाब में भू अभिलेख निरीक्षक ने दिनांक 19.01.2021 को तहसीलदार को रिपोर्ट भेज दी उक्त सभी कार्यवाही होने के बाद तहसीलदार पावटा ने मिसल संख्या 02/2020 के माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का प्रार्थना पत्र आपत्ति स्वीकार करते हुए निर्णय जैर अपील दिनांक 15.04.2021 द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.07.2020 (13.07.2020) बाबत समर्पणनामा निरस्त करते हुय नामान्तरकरण संख्या 649 मौजा ग्राम ललाना को निरस्त करने में तथा आफिस कानूनगों द्वारा प्राप्त समर्पणनामा दिनांक 14.07.2020 (13.07.2020) एवं उक्त समर्पणनामें की पालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 649 की प्रति पर निरस्तीकरण का जो आदेश तहसीलदार पावटा ने आज्ञा जैर अपील द्वारा पारित

संभागीय आयुक्त
जयपुर

––2––

किया है। वह पूर्णतया क्षेत्राधिकार विहिन, शून्य व विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली निर्णय दिनांक 15.12.2020 जिसके द्वारा उन्होने तहसीलदार पावटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2021 को यथावत कायम रखा है, भी सरासर विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कतई ध्यान नही दिया कि उक्त आदेश के विरूद्ध रिव्यू केवल मात्र एग्रीव्ड (व्यथित) प्रभावित पक्षकार ही प्रस्तुत कर सकता था तथा रूडाराम को धारा 86(2) भू राजस्व अधिनियम 1956 में रिव्यू (पुनरावलोकन) प्रस्तुत करने का कतई कोई अधिकार ही प्राप्त नही था तथा न ही रूडाराम उक्त समपर्णनामें से प्रभावित पक्षकार ही था तथा वह प्रकरण में पक्षकार ही नही था तो (थर्ड पार्टी) असंबद्व व्यक्ति होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रूडाराम को तहसीलदार के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार ही नही था फिर भी तहसीलदार पावटा ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का रिव्यू प्राथना पत्र धारा 86(2) लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 में स्वीकार करते हुऐ अपीलान्ट के समपर्णनामें दिनांक 14.07.2020 व नामान्तरकरण संख्या 649 वाके ग्राम ललाना को एक ही आदेश दिनांक 15.04.2021 से निरस्त करने में गंभीर कानूनी भूल की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर भी कतई ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत नियमित राजस्व वाद मुकदमा नम्बर 16/20 उनवानी रामजीलाल बनाम मालाराम में सहायक कलक्टर कोटपूतली द्वारा जारी स्थगन आदेश से उक्त रास्ते संबंधी प्रक्रिया पर कतई कोई बाध्यता या बंदिश लागू नही होती है तथा अपीलान्ट द्वारा समर्पित कृषि भूमि खसरा नम्बर 104 में से रास्ता निकलने पर सभी पडौसी खातेदार काबिज काश्तकारों को आवागमन हेतु रास्ते की सुविधा मिलेगी किन्तु फिर भी दोनो अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण को सही अर्थो में समझे बिना विधि विरूद्ध आज्ञाऐ जौर अपील पारित की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में पारित पैरा संख्या 11 में स्पष्ट रूप से जवाब पेश किया है जबकि वास्तविकता यह है कि तहसीलदार पावटा द्वारा पारित आदेश विवादित है धारा 135(2) में पारित आदेश का विधिवत परीक्षण न्यायालय श्रीमान् ही कर सकती है तो ऐसी स्थिति में प्रकरण अपीलीय न्यायालय आपत्ति खारिज कर नही कर केवल अपील लौटा ही सकती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु पर भी ध्यान नही दिया कि रजिस्टर्ड समर्पणनामा को तहसीलदार निरस्त नही कर सकता केवल मात्र सिविल न्यायालय को ही रजिस्टर्ड समर्पणनामें को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा साथ ही अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली ने स्वयं में अपनी सुनवाई का क्षेत्राधिकार मानकर अपील खारिज कर दी है। इस कारण भी न्यायालय श्रीमान् को उक्त प्रकरण में सुनवाई के समस्त क्षेत्राधिकार प्राप्त होने से द्वितीय अपील स्वीकार करते हुऐ प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित एवं आवश्यकीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आज्ञाऐं जैर अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली दिनांक 15.12.2021 एवं तहसीलदार पावटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2021 मिसल संख्या 02/20 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण सम्पूर्ण जांच हेतु एवं अपीलान्ट की कृषि भूमि खसरा नम्बर 104 स्थित ग्राम कूनेड (पावटा) में से समर्पित कृषि भूमि से सार्वजनिक रास्ते की भूमि दर्ज करने हेतु तहसीलदार पावटा को प्रतिप्रषित रिमाण्ड फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 104/0.61 वाके मौजा ललाना की भूमि से अपीलान्ट मालाराम का किसी प्रकार का कोई ताल्लुक वास्ता नही है अपितू उपरोक्त आराजी रेस्पोडेन्ट के पिता रामकुंवार व उनके भाई रामजीलाल, दशरथ व उनके बुजुर्गान की खातेदारी भूमि है जिसमें उनके द्वारा स्वयं के रिहायशी मकान व चारदीवारी लगा रखी है एवं पिछले 30–35 वर्षो से

मौके पर मय परिवार निवास कर रहे है परन्तु उपरोक्त आराजी के हाल राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से मालाराम अपीलान्ट के नाम दर्ज हो गयी जिस बाबत उनके द्वारा रिकार्ड दुरूस्ती हेतु वाद बउनवानी रामजीलाल बनाम मालाराम वगैरह न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली के समक्ष मुकदमा नम्बर 16/2012 प्रस्तुत किया गया है, जो वास्ते बहस अंतिम हेतु नियत है तथा उपरोक्त आराजी बाबत उक्त वाद के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र में न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली द्वारा स्थगन आदेश पारित कर मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित किये गये है। उपरोक्त आदेश अपीलान्ट मालाराम की जानकारी व उपस्थिति में पारित किये है, जो आदिनांक तक यथावत है। मालाराम द्वारा नई तहसील पावटा बनाये जाने के उपरान्त तहसीलदार पावटा के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करते हुये आराजी खसरा नम्बर 104/0.61 वाके मौजा ललाना की भूमि में से 0.0689 हैक्टयर गैर मुमकिन रास्तें हेतु समर्पण तहसीलदार पावटा के समक्ष प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार पावटा द्वारा उक्त समर्पण को स्वीकार कर नामान्तरकरण के जरिये दिनांक 06.08.2020 को नामान्तरकरण दर्ज किया जबकि आराजी हाल खसरा नम्बर 104/0.61 से अपीलान्ट का किसी प्रकार को कोई लेना–देना नही रहा है, ना ही मौके पर कब्जा रहा एवं स्थगन के बावजूद तहसीलदार पावटा के समक्ष उक्त तथ्य को छुपाते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पारित किये जिसकी जानकारी होने पर रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुर्नवलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर उभयपक्ष को सुनने के उपरान्त अपने आदेश दिनांक 15.04.2021 के द्वारा दिनांक 14.07.2020 को किये गये समर्पणनामा व उसके आधार पर दर्ज नामान्तरकण संख्या 649 को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है ।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पावटा द्वारा भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से उभयपक्ष को सुनने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है। ऐसी सूरत में उपरोक्त आदेश दिनांक 15.04.2021 के विरूद्ध अपील भू अभिलेख निदेशक यानी संभागीय आयुक्त द्वारा सुनी जायेगी। ऐसे में अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2021 एवं तहसीलदार पावटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2021 विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

1. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86(2) में प्रावधित प्रावधान इस प्रकार "Every other revenue court or officer may either on its or his own motion, or on application of any party interested, review any order passes by itself or himself or by any of its or his predecessors in office and pass such orders in reference thereto it or he thinks fit." है।

   हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी मालाराम द्वारा भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 104/0.61 में से 0.0689 भूमि का समर्पणनामा रास्ते हेतु किये जाने पर तहसीलदार पावटा द्वारा उक्त समर्पणनामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 649 दिनांक 07.08.2020 को स्वीकार किया गया। जिसमें केवल मालाराम एवं तहसीलदार ही हितबद्ध पक्षकार है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रूडाराम द्वारा प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नही होने के बावजूद बिना किसी अधिकार के ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिव्यू प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है।

2. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के निष्पादित समर्पणनामा को केवल दावे के माध्यम से ही निरस्त कराया जा सकता है। ऐसे में समर्पणनामा को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार पावटा को कानूनन प्रदत्त ही नही था किन्तु तहसीलदार पावटा द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.04.2021 पारित किया है। जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

   अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली द्वारा पारित अपीलाधीन

संभागीय आयुक्त
जयपुर

आदेश दिनांक 15.12.2021 एवं तहसीलदार पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.04.2021 व समर्पणनामा निरस्ती आदेश को खारिज किया जाता है एवं भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में सहायक कलक्टर कोटपूतली के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 12/2012 रामजीलाल बनाम मालाराम में जारी स्थगन आदेश की दिनांक को भूमि के रिकार्ड की स्थिति पुनः बहाल की जाती है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।